हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जून, 2017

संख्या 18/एस.टी.–1/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2017.– चूंकि राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हैं;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 60 की उप–धारा(1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप–धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"42 वापसी का अनुमोदनः– निम्नलिखित प्राधिकारी एकल आदेश से उत्पन्न प्रत्येक के सामने वर्णित राशि की वापसी अनुज्ञात करने के लिए सक्षम होंगेः–

"1.	मुख्यालय में तैनात विभाग की ओर से तीन वरिष्ठतम् अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्तों तथा सदस्य सचिव के रुप में आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी जो उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो से मिलकर बनने वाली समिति। इन अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा।	₹ पचास लाख से अधिक
2.	अध्यक्ष के रूप में संबधित संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) अन्य दो सदस्य जिनमें से एक उसी रेंज में पड़ने वाले किसी जिले में तैनात वरिष्ठतम उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त किसी विंग अर्थात् रेंज में पड़ने वाले किसी जिले में से बिक्री कर या आबकारी या निरीक्षण इत्यादि से हो सकता है); दूसरा–संबंधित जिले का उप आबकारी तथा	₹ पच्चीस लाख से अधिक और ₹ पचास लाख तक

	कराधान आयुक्त (बिक्री कर) से मिलकर बनने वाली समिति। संबंधित जिले में नोडल अधिकारी (वापसी) के रूप में कार्यरत आबकारी तथा कराधान अधिकारी सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा।	
3.	अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर); अन्य दो सदस्य जिसमें दो जिले में तैनात वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारी (आबकारी व कराधान अधिकारी किसी विंग अर्थात बिक्री कर या आबकारी या निरीक्षण इत्यादि से हो सकता है) से मिलकर बनने वाली समिति। संबंधित जिले में नोडल अधिकारी (वापसी) के रूप में कार्यरत आबकारी तथा कराधान अधिकारी सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा।	₹ पच्चीस लाख तक

निम्नतर प्राधिकारी/प्रधिकारियों व्यपगत ब्याज के बिना वापसी जारी करने के लिए विहित समय से पूर्व कम से कम तीस दिन में समुचित स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को अपना/अपनी सिफारिश (सिफारिशों) सहित मामले का अभिलेख प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी उचित समय पर निम्नतर प्राधिकारी /प्राधिकारियों को अपना निर्णय सूचित करेगा। वह, लिखित में आदेश द्वारा, वापसी की राशि को बढ़ा या घटा सकता है या आदेश कर सकता है कि कोई भी वापसी देय नहीं है किन्तु कोई भी प्रतिकूल आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

वापसी की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए गठित समितियां अनुमोदन के लिए उनको भेजे गए वापसी के मामलों का निर्णय करने के लिए पखवारे में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।

आयुक्त किसी समिति की सदस्यता के बारे में अधिकारी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में उसकी पात्रता का निर्णय करने हेतु तथा समितियों के निर्विध्न कार्य करने के लिए हिदायतें जारी करने हेतु सक्षम होगा।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNEMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 14th June, 2017

No. 18 /ST-1/H.A. 6/2003/S.60/2017. - Whereas the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, for rule 42, the following rule shall be substituted, namely:-

"42 APPROVAL OF REFUND – The following authorities shall be competent to allow to refund, arising from a single order, of the amount mentioned against each:-

"1	Committee comprising of three senior most Additional Excise and Taxation Commissioners from department side posted at the Head Quarter and an officer not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner nominated by the Commissioner as the Member Secretary. The senior most amongst these Additional Excise and Taxation Commissioners shall be the Chairman.	above fifty lakh rupees"
"2.	Committee comprising of concerned Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) as the Chairman; the other two members being one-the senior most Deputy Excise & Taxation Commissioner posted in any district falling in the Range (DETCS may be from either wing i.e. Sales Tax or Excise or Inspection etc. in any of the districts falling in the range); second-the Deputy Excise & Taxation Commissioner (Sale Tax) of the district concerned. The Excise and Taxation Officer working as Nodal Officer (Refund) in the district concerned shall work as Member Secretary.	above twenty-five lakh and upto fifty lakh rupees"
"3	Committee comprising of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district concerned as the Chairman; the other two members being two senior most	upto twenty five lakh rupees"

	Excise & Taxation Officers posted in the district (the ETOs may be from either wing i.e. Sales Tax or Excise or Inspection etc.). The Excise Taxation Officer working as Nodal Officer (Refund) in the district concerned shall work as Member Secretary.	

The lower authority/authorities shall submit the record of the case alongwith his/her/their recommendation(s) to the competent authority at the appropriate level at least thirty days before the time prescribed for issuing refund without interest lapses and the competent authority shall intimate its decision to the lower authority/authorities well in time. It may, by order in writing, increase or decrease the amount of refund or may order that no refund is due but no adverse order shall be passed without giving the affected person a reasonable opportunity of being heard.

The Committees constituted for the purpose of sanction of refund shall meet the least once in a fortnight to decide the cases of refund sent to them for approval.

The Commissioner shall be competent to decide the eligibility of an officer with regard to his/her seniority about membership of any committee and to issue instructions for smooth functioning of the committees."

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.